

राशन और निवार्चन विभाग से परेशान लोगों ने सूचना अधिकार कि तहत मांगा जबाब

02/03/2008



आज रूपम
टाकिज चौराहा,
बेकन गंज,
कानपुर में
सूचना अधिकार
अभियान द्वारा
RTI Act के बारे
में 2 दिवसीय
जागरूकता
शिविर लगाया
गया। राशन,
निवाचन, समाज

कल्याण, पासपोर्ट आदि सरकारी विभागों से परेशान लोगों का हजूम आज के इस शिविर में उमड़ा। 11 बजे से शुरू हुए इस शिविर का उद्घाटन डा० महमूद रहमानी ने किया। कर्नलगंज निवासी सलाउद्दीन ने शिक्षा विभाग से ये सवाल पूछा कि कानपुर शहर में जो विद्यालय हैं क्या उन्हे उत्सव कार्यक्रमों के लिए किराये पर दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो उससे होने वाली आय का आय व्यय ब्यौरा की सूचना प्रदान करें। साहब असफाक ने अपने बेटे के पासपोर्ट के बारे में पासपोर्ट विभाग से सवाल पूछा। नूरजहां और कौसर बेगम ने राशन विभाग से अब तक अपने राशन कार्ड न बनाये



जाने के बारे बाबत विभाग से जानकारी चाही।



निसा, जेबा, रेसमा और नूरी ने निर्वाचन विभाग से अपने वोटर आई कार्ड अब तक न मिलने के बारे में सवाल पूछा। आज के शिविर में रासन और निर्वाचन विभाग से ज्यादा परेशान लोगों की समस्या

देखने को मिली। आज के शिविर में काफी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। शिविर में डा० संदीप पाण्डेय जी ने भी शिरकत की और सूचना अधिकार अधिनियम की उपयोगिता और कानूनी बारिकीयों के बारे में शिविर में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। आज के शिविर में करीब 200 आवेदन विभिन्न विभागों के लिखवाये गये। सैकड़ों लोगों ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी ली।

सूचना का अधिकार आम आदमी करे इस्तेमाल

सरकारी विभागों में अपने ऊके हुए कामों को करवाने के लिए आम आदमी को सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उक्त बातें संदीप जी ने सूचना अधिकार अभियान द्वारा लगाये गये शिविर में आम



जनता को सम्बोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि सूचना का अधिकार इस देश की जनता को देश की आजादी के साथ ही मिल जानी चाहिये था। इस देश का लोकतन्त्र सही



अर्थों में तभी मजबूत होगा, जब इस देश की आम जनता को अपने मालिक होने का सचमुच में एहसास होगा। आज सरकारी अफसर मालिक बना बैठा हैं जबकि वो सिर्फ एक नौकर है, जिसकी तनख्वाह इस देश की आम जनता देती है। सूचना का अधिकार हमें ये ताकत देता है कि, हम अपने जिलाधिकारी से ये सवाल पूछ सकें कि, आपने पिछले एक साल में अपनी गाड़ी में कितना पेट्रोल खर्च किया और गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हुआ। संदीप जी ने लोगों को कानून की व्याख्यानिकता और बारीकियों के बारें में भी विस्तार से बताया।

03/03/2008 आज शिविर के दूसरे दिन कल की अपेक्षा और ज्यादा लोग समस्याओं शिविर में अपनी अहमद ने पासपोर्ट के किया था तक पासपोर्ट सुजाता हुसेन ज्यादा बिल



को लेकर आये। एजाजा 2002 में लिए आवेदन मगर अभी नहीं मिला। केरको से आने से

परेशान होकर सूचना का अधिकार के इस्तेमाल की जानकारी लेने आई। आज के



इस शिविर में करीब 300 आवेदन लिखवाये गये। जिसमें 85 वृद्धावस्था, 50 विधवा, 35 मतदाता, 34 राशन, 15 पासपोर्ट और बाकी अन्य विभागों के थे। इस दो दिवसीय शिविर में स्थानीय लोगों की भागीदारी काफी रही। इस शिविर का आयोजन स्थानीय संगठन मुस्लिम इत्तेहाद महासंघ ने किया था।

इस शिविर में सूचना का अधिकार अभियान संगठन मुस्लिम महासंघ ने किया था। इस शिविर में सूचना का अधिकार अभियान संगठन मुस्लिम महासंघ ने किया था।

मंडल, जन सूचना जागृति मिशन, सूचना जनहिताय जागरूकता केन्द्र, एनो ए० पी० एम, आशा और अन्य मजदूर संगठन तथा जनसंगठनों ने प्रमुख रूप से भागीदारी की।

धन्यवाद...

अब्दुल कलाम, शंकर सिंह, महेश
RTICUP Kanpur

15/245, Civil Lines, Kanpur-208001
M0. +91-9453533596, +91-9335562218
+91-9838546900